

HARYANA GOVERNMENT EDUCATION DEPARTMENT PANCHKULA



ORDER

No. 4/32-2018 HRG-1(2)

Dated: Panchkula, the 16.11.2020

Shri Rajnish Sachdeva [071770], Principal, Government Senior Secondary School, Sector-6 [3704], Panchkula (Seniority no. 206 of PGT as stood on 08.07.2019) is hereby granted antedated promotion as Principal w.e.f. 20.07.2007 i.e. the date when junior i.e. Smt Shalini Kapoor [048810] (Seniority no. 211 of PGT as stood on 08.07.2019) was promoted as Principal. He will be entitled for notional pay fixation and benefit of seniority w.e.f. 20.07.2007. However, he will not be entitled to any arrear of pay for such promotion for the period in which he have not actually worked as Principal.

DR. MAHAVIR SINGH, IAS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, GOVT HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/32-2018 HRG-I(2)

Dated Panchkula the ollinario

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
- 2. Treasury Officer, Panchkula.
- 3. District Education Officer Panchkula to maintain copy of this order in the personal file of the concern.
- 4. Shri Shri Rajnish Sachdeva [071770], Principal, Government Senior Secondary School, Sector-6 [3704], Panchkula.
- 5. I.T. Cell (Local)
 - 6. HRG-I (4) for fixation of seniority.
 - 7. A separate copy for file no. 4/30-2007 HRG-I(2)
 - 8. Separate copy for updating MIS data.


DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणां सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com
To be Substituted bearing the Same No.

सेवा मे,

Head of Institution DIET Shahpur [4613], Karnal

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 02-12-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम 1 DIET Shahpur (Karnal) [4613] कार्य का नाम

Maintenance of super 100

programme DIET building Shahpur
कुल राशि

प्रस्तावित राशि 2000000.00

2000000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:--

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने उपरांत इस कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करेगें।
 - 4 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल

2 जिला खजाना अधिकारी करनाल

3 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी / इन्द्री / घरौण्डा / असन्ध / निसिंग / तरावड़ी / / /

- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में। 6 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल ।
- 5 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ ।

6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि डी०ई०ओ० करनाल के खाते से निकालकर Principal DIET Shahpur as DDO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

9 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

्र इन्चार्ज आईoटीo सेल (शिक्षा निदेशालय)।

11 प्राचार्य, डाईट शाहपुर (करनाल) को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

> सहायके निर्देशक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

NO. 4/60-2020 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, the:-24.11.2020

The following Group-D Class-IV employee is hereby transferred with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks	
1.	Ramesh Devi,	GPS Jerpur (15400) Mahendergarh	GSSS, Kanwali, (2528) Rewari	Against Vacancy	
				1 1 1	

Note :-

- 1. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
- 2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- 3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
 - If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
- 4. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
- 5. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
- 6. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
- 7. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

SATINDER SIWATCH
JOINT DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/60-2020 HRME-II (5) 26 - 11 - 202 Dated Panchkula, the: 26 - 11 - 202 A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:

- 1. District Education Officer concerned.
- 2. Head of the institution concerned.
- 3. Ramesh Devi, KCC, GPS, Jerpur [15400] Mahendergarh.

4. IT Cell.

5. Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

SUPERINTENDENT HRME-II for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION ARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate of Elementary Education मौलिक शिक्षा निदेशालय

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION HARYANA, **PANCHKULA**

ORDER NO. 7/09-2020-HRM-II (3)

DATED 19.11.2020

The following employee is hereby adjusted temporarily with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Desig. & Present place of posting	Now adjusted	
1.	Sh. Harjeet Singh [100464], TGT (Math), GMS Nazia Khera (7177), Sirsa	GHS Bakrianwali (2996), District Sirsa	
	[under transfer from GSSS Toda (3712) Panchkula to GMS Nazia Khera (7177)(Sirsa)]		



Note:- The above said employee adjusted with the condition that he will be participate in the next transfer drive.

> NITIN KUMAR YADAV DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, 26/11/20

A copy is forwarded to the following for Information and necessary action:-


- 1. District Elementary Education Officer, Sirsa.
- 2. Head of the institution, Concerned with direction to approve the MIS profiles of the candidate so that above mentioned posting to be updated in the service profiles of this candidate.
- 3. Official, Concerned with strict direction to complete the previous service profiles pending at their level otherwise strict disciplinary action be initiated and take participation in online transfer drive after completion of service profile.
- 4. I.T. (HQ) for updating on MIS, he also requested to update the MIS regarding removing the school name GMS Nazia Khera (7177), Sirsa and ensure that such issue does not arise in future.
- 5. Master File.

FOR DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate of Secondary Education माध्यमिक शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला—134109 (मारत) दूरमाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।

यादी कमांक 2/3-2020 एच0आर0एम0ई0-11 (5) दिनांक, पंचकुला :--

विषय:--

Selection on the post of Group-D against Advt. No 4/2018 Cat No 1 in respect of Waiting/Selected candidates-Recommendation thereof.

**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2018, कैटेगरी न0 01 के अर्न्तगत यादी कमांक HSSC/Confd./Recomm/2020/554 दिनांक 28.10.2020 के अंर्तगत जारी की गई प्रतीक्षा/चयनित उम्मीवारों की सूचि भेजी गई थी।

जिस चयनित ग्रुप—डी उम्मीदवार ने कार्यग्रहण करने हेतू निदेशालय में अपने शैक्षिणक दस्तावेजों की जांच करवाई गई है उसका ब्यौरा तथा अलॉट किया गया जिला निम्नानुसार है:—

Allocation of District to newly selected Class-IV (Group-D) candidate

SN	KOII No.	Category DOB	C. Name F. Name	Gender	Address	Allotted District
1	4182677713	BCB 03/10/1992	Nitin Yadav S/o Sh. Shambhu Nath	M	#05, New Nanda Colony Farakhpur, City Jagadhri Workshop, Tehsil Jagadhri, Dist.Yamuna Nagar, Pin 135002, Sate Haryana	Yamuna

चतुर्थ श्रेणी के चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था के मुखिया के स्तर पर जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त अंकित ग्रुप—डी के नवचयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करते समय निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा जाये:—

- 1. नियुक्ति से पूर्व उक्त चयनित उम्मीदवार के शैक्षणिक दस्तावेज, हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र, चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध किसी प्रकार का किमीनल रिपोर्ट एवं कोर्ट केस ईत्यादि लंबित न हो, कर्मचारी का चरित्र प्रमाण पत्र भी देखा जाना अनिवार्य है।
- 2. नियुक्ति से पूर्व प्रार्थी के चिकित्सा प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच भली—भांति कर ली जाये तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित सिविल सर्जन द्वारा ही जारी किया गया हो।
- सरकार द्वारा समय–2 पर जारी की जाने वाली हिदायतो का पालन भी उम्मीदवार द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।





- 4. उक्त सभी नव चयनित सुख सहायकों को पूर्णत रिक्त पदों के विरुद्ध ही नियुक्त किया जाये।
- उक्त सभी नव चयनित उम्मीदवारों की विष्ठता हिरयाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की गई
 मैरिट सूची के अनुसार ही रहेगी।
- 6. यदि किसी नव चयनित उम्मीदवार की आयु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञापित तिथि तक निर्धारित समय सीमा से अधिक पाई जाती है तो उक्त स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति न की जाये।
- 7. इसके अतिरिक्त कर्मचारी के नियुक्ति पत्र में यह शर्त भी अवश्य अंकित की जानी है कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्ण तौर पर अस्थाई आधार पर होगी तथा अस्थाई पदो के विरुद्ध ही समझी जायेगी। जब भी विभाग में स्थाई पद रिक्त होगे तो इनको वरिष्ठता के आधार पर एवं सेवाकाल अच्छे स्तर का होने पर ही नियमित समझा जायेगा।
- 8. उक्त नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता ईत्यादि नही दिया जायेगा। नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवार को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह विवाहित है या नही और यदि विवाहित है तो उसकी एक ही जीवित पत्नी है। इसी आधार पर उसे नियुक्ति प्रदान की जा रही है।
- 9. उम्मीदवार विभाग से उक्त नियुक्ति पत्र के संबंध में किसी प्रकार की वरिष्ठता इत्यादि की मांग नहीं करेगा। जब तक विभाग इससे संबंधित नियम व शर्तें निर्धारित नहीं कर देता और यदि विभाग समय–2 पर किसी प्रकार का संशोधन नियमों में करता है तो वह उम्मीदवार को मानने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
- 10. उम्मीदवार अगले दो वर्षो तक परीवीक्षा अविध में समझा जायेगा और यदि उम्मीदवार का चरित्र सही नहीं रहता है तो उक्त अविध बढाई जा सकती है।
- 11. उम्मीदवार को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 की पालना हर अवस्था में करनी होगी तथा यदि उक्त नियमों में सरकार समय—2 पर बदलाव करती है तो वह भी उम्मीदवार को मान्य होने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
- 12. यदि उम्मीदवार अपनी जाति इत्यादि को छिपाकर एवं गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सेवा में आया है और उसके विरूद्ध आरोप साबित हो जाता है तो उम्मीदवार की सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
- 13. उम्मीदवार अपने सभी शैक्षिणक एवं अन्य प्रकार के दस्तावेज जो भी विभाग देखना चाहे उनकी मूल प्रित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और सक्षम अधिकारी को दिखाने उपरान्त उक्त सभी दस्तावेजो की फोटोप्रित प्रितहस्ताक्षरित करवाकर सक्षम अधिकारी को रिकार्ड हेतु जमा करवायेगा।
- 14. उम्मीदवार को हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के नियम, 1974, 1998 एवं समय—2 पर किये जाने वाले संशोधन की पालना हर अवस्था में करनी होगी।
- 15. यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से उक्त की गई नियुक्ति से त्याग पत्र देता है तो उसे इसकी एवज में एक माह का नोटिस या एक माह का वेतन सभी प्रकार के भत्तो सिहत सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा।
- 16. यदि उपरोक्त सभी नियम व शर्तें, सुख सहायक के पद हेतु उम्मीदवार को मान्य है तो वह अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।





17. इन उम्मीदवारो पर नई पैंशन स्कीम लागु होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तालिका में अंकित ग्रुप—डी के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करके रिपार्ट निदेशालय को भेजी जाये।

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०-।। कृतेः निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा (पंचकुला। चिंकुला:-

पृष्ठांकन कमांक सम:-

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. आई०टी० सैल (स्थानिय)।

ण्डरी शिक्षा हरियाणा



DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Order No. 17/126-2019 HRME-II (2)

Dated:- 19.11.2020

Sanction is hereby accorded to the re-imbursement of Medical Charges amounting to Rs. 3,22,660/- (Three Lac Twenty Two Thousand Six Hundred Sixty Only) in respect of Smt. Darshana Devi W/o Sh. Ishwar Chander Bansal, Retired Steno Typist, O/o SDEO, Panipat for self-treatment (claimed by his wife) (Indoor) at Maharaja Aggarsain Hospital, New Delhi on the advice of authorized Medical Attendants. (Relaxation Medical Policy)

Sr. No.	Name of Claimant	Amount	Relation with Patient	Period of Treatment
1	Smt. Darshana Devi W/o Sh. Ishwar Chander Bansal, Retired Steno Typist, O/o SDEO, Panipat	Rs. 3,22,660/-	Self	05.08.2019 to 02.09.2019

(Rs. Three Lac Twenty Two Thousand Six Hundred Sixty only)

- 1. The re-imbursement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/ Haryana services (Medical Attendants) Rules, 1940.
- 2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the patient and that no cheaper substitute was possible.
- 3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

J GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Panipat w.r.t. their letter No A-1/20/667 dated 28.02.2020 with original medical bill and vocher of **Smt. Darshana Devi W/o Sh. Ishwar Chander Bansal.**
- 2. Treasury Officer, Panipat.
- 3. Superintendent Budget Branch (Local).
- 4. Smt. Darshana Devi W/o Sh. Ishwar Chander Bansal, Retired Steno Typist, Resident of H. No. 601, Sector-11-12, HUDA, Panipat.

→ 5. I.T. Cell.

Superintendent HRME-II for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula